संख्या:38/2391जेएल/22-3-14-100(48)/2014

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 07 अक्टूबर, 2014***

विषय: जिला कारागार-सहारनपुर में निरूद्ध 03 विचाराधीन बंदियों को अन्य कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-25214/सामा-1(3)/गाजियाबाद/मेरठ मं0/2010, दिनांक 08-09-2014 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालयों द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के आलोक में, उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध निम्नलिखित बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र0स0	बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धी की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	सन्नी उर्फ चिडा पुत्र श्री हरीश शर्मा	जिला कारागार, सहारनपुर।	केन्द्रीय कारागार, आगरा।
2	बाबर पुत्र श्री आरिफ	जिला कारागार, सहारनपुर।	केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3	मोहर्रम अली उर्फ पप्पू पुत्र श्री शेर अली	जिला कारागार, सहारनपुर।	जिला कारागार, बुलन्दशहर।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या: 38/2391जेएल(1)/22-3-14-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।
4. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा/बरेली एवं अधीक्षक, जिला कारागार, बुलन्दशहर।
5. गोपन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in